महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. – जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)
Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain – 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2025(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक : 16.09.2025

कार्यालय आदेश – 1792

विषय : प्रतिष्ठान से सम्बद्ध वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययनरत छात्रों के आधार कार्ड के.वाय.सी. अद्यतन (KYC Upadate) करने के सम्बन्ध में ।

प्रतिष्ठान से सम्बद्ध वेदपाठशालाओं / इकाइयों में अध्ययनरत छात्रों के शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 2024-25 के कौशल विकास पाठ्यक्रम (लेवल 2.5) के परीक्षा के प्रमाण पत्र राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा जारी किए जाएंगे । यह संज्ञान में आया है, कि कुछ वेदपाठशालाओं / इकाई अध्यापकों द्वारा छात्रों के वेदभूषण प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय प्रवेश आवेदन प्रपत्र में छात्रों के नाम, जन्म दिनांक आदि विवरण आधार कार्ड से मिलान कर नहीं भरा गया है । कई छात्रों के आधार कार्ड की के.वाय.सी. अद्यतन (KYC Update) नहीं की गई है । छात्रों के आधार कार्ड की के.वाय.सी. अद्यतन नहीं होने पर NCVET द्वारा छात्रों के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे ।

अतः समस्त वेदपाठशाला प्रबंधकों एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है, कि विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्रों के आधार कार्ड की के.वाय.सी. तुरन्त अद्यतन कराकर प्रतिष्ठान को सूचित करें, जिससे छात्रों के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु छात्रों का विवरण NCVET को प्रेषित किया जा सके ।

जिन छात्रों के आधार कार्ड की के.वाय.सी. (KYC) अद्यतन नहीं होगी, उन छात्रों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे ।

16.9.2025

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : (1) प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं / इकाइयों को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशित ।

(2) श्री संजय श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (शैक्षणिक), मसारावेविप्र ।

(3) डॉ. अनूप कुमार मिश्र, सहायक निदेशक (परियोजना एवं कौशल विकास सहायक)

(4) श्री श्रीकांत चौबे, अनुभाग अधिकारी, मसारावेविप्र ।

(5) कार्यालय आदेश पत्रावली

उपर्युक्त प्रतिष्ठान के अधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव, डॉ. अनूप कुमार मिश्र, श्री श्रीकांत चौबे - KYC अद्यतन कराने हेतु शीघ्र बैठक आयोजित करें ।